

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या

67 वर्ष 2016

आवेदक-रेसका मांझी

ग्राम - टीकाहारा

थाना - महुआटांड जिला-बोकारो

क्रेता- हेमलाल मांझी

ग्राम - टीकाहारा

थाना - महुआटांड जिला- बोकारो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की र
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख :
साथ।
03

देश की क्र०
0 एवं तारीख
01

02

आदेश

यह वाद आवेदक- रेसका मांझी पिता स्व० बाबूराम मांझी ग्राम टीकाहारा महुआटांड जिला-बोकारो द्वारा छोटेनागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
टीकाहारा	137	48	399	1.29 ए०	11½ डी०	कृषि योग्य

को वे हल बैल खरीदने एवं पारिवारिक खर्च हेतु मो० 50000/- (पचास हजार) रुपये में क्रेता- हेमलाल मांझी, सूरजलाल मांझी दोनो पिता स्व० ओझा मांझी ग्राम टीकाहारा टोला- थाना-महुआटांड जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटेनागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 398/रा० दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 818 दिनांक 27.09.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01 बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संचाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं। एवं क्रेता दोनों ग्राम-टीकाहारा थाना-महुआटांड जिला-बोकारो का निवासी हैं।

02 बिक्री की जाने वाली भूमि होपना मांझी के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है एवं उसकी जमाबन्दी

03 आवेदित भूमि बिक्रेता के दादा के हिस्से की जमीन है। बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता कि हक व हिस्से में आता है एवं उसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है। विक्रेता को यह भूमि बँटवारा द्वारा हासिल है।

04 प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता रेसका मांझी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा होपना मांझी के नाम सर्वे खतियानी जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-11 में सोनवा मांझी के नाम से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2014-15 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उनके परदादा के हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

C.C. Bhowmik
27/9/16

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01 विक्रेता- होपना माँझी के नाम सर्वे खतियान तथा सोनवा माँझी के नाम सरकारी लगान रसीद एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02 क्रेता- हेमलाल माँझी का आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष संताल जाति के हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के परदादा के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक— रेसका माँझी पिता स्व० बाबूराम माँझी ग्राम टीकाहारा महुंआटांड जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	थाना न०	खाता० न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ० सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
टीकाहारा	137	48	399	1.29 ए०	11½ डी०	रास्ता	महादेव माँझी	मिस्त्री माँझी	हीरू माँझी

मो० 50,000/- (पचास हजार) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- हेमलाल माँझी, सूरजलाल माँझी पिता स्व० ओझा माँझी ग्राम टीकाहारा थाना-महुंआटांड जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।